



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या 60/2024/1/744989/2024/77-3003-003-9-2022
लखनऊ: दिनांक: 17.09.2024

शुद्धिपत्र

शासनादेश संख्या 77-3002(003)/9/2022/1/742237/2024 दिनांक 13.09.2024 द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू0 8728.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त शासनादेश दिनांक 13.09.2024 में निर्गत धनराशि की तालिका में अवमुक्त धनराशि के कालम में रू0 8720.00 लाख के स्थान पर रू0 8728.00 लाख पढ़ा व समझा जाये।

2. शासनादेश दिनांक 13.09.2024 का शेष यथावत रहेगा।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।